

ठाठ - ॥८४ - I

आवेदक — श्री पहल सिंह, आत्मज श्री खितई सिंह, सम्पत बाई बेवा
पत्नी स्व. खितई सिंह (जाति गौड़) आदिवासी निवासी— घॉट
पिपरिया थाना बरगी तह. बरगी जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

अनावेदक — म.प्र. शासन

द्वारा — कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध
आदेश कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्र.क्र.317 / अ-21 / 2012-13

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है :-

1. यह कि आवेदक की मौजा टींगन नं.बं. 251 प.ह.नं. 40, रा.नि.मं. बरगी तह.
व जिला जबलपुर स्थित खसरा नं. 155 रकवा 0.25 हेक्टेयर, ख.नं.
156/3 रकवा 0.87 हेक्टेयर, ख.नं. 172 रकवा 0.47 हेक्टेयर, ख.नं.
173/2 रकवा 0.88 हेक्टेयर, ख.नं. 234, रकवा 0.33 हेक्टेयर, ख.नं.
156/4 रकवा 0.72 कुल रकवा 3.52 हेक्टेयर एक फसली झाड़-पेड़ों से
मुक्त खेतों के बीचोंबीच मौजा टींगन तह. व जिला जबलपुर में स्थित है।
जिसके समस्त भू राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम भूमि स्वासी की
हैसियत से दर्ज है। इसी अधिकार व हैसियत से मुझ आवेदक के द्वारा
क्रेता श्री अयोध्या त्रिपाठी पिता स्व. श्री राममिलन त्रिपाठी मैनेजिंग
डायरेक्टर सतपुड़ा इन्फ्राकॉन प्राय.लिमि. निवासी गढ़ा जैन मंदिर के पीछे,
जबलपुर वालों से भूमि के विक्रय का सौदा अनुबंध पत्र के माध्यम से तय
किया था। वर्तमान में श्री अयोध्या त्रिपाठी भूमि क्रय करने के इच्छुक नहीं
है। किंतु उनके स्थान पर श्रीमति माया त्रिपाठी पत्नि श्री अयोध्या त्रिपाठी
उम्र लगभग 67 वर्ष निवासी-516, गढ़ा, जबलपुर भूमि क्रय करने की
इच्छुक है तथा उनके द्वारा वर्तमान गाईड लाईन मूल्य पर भूमि क्रय करने
की सहमति दी गई है। अतः श्रीमति माया त्रिपाठी को भूमि विक्रय कर
प्रार्थी पूर्व की भाँति अपने कर्ज चुका पायेगा तथा श्री अयोध्या त्रिपाठी से

प्राप्ति

मिशन ऑफिस गढ़ा जैन मंदिर

114/3/16
N.V. Ref. No. 516
A.S.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, व्यालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1154-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-4-16	<p>यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 317/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12-2-14 के विलङ्घ म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 12-2-14 के विलङ्घ पेश की गई जो विलंब से प्रस्तुत है । निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलंब के संबंध में यह आधार लिया गया है कि आवेदक कम पढ़ा लिखा आदिवासी व्यक्ति है जिसे कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन के अंतिम के संबंध में जानकारी प्राप्त न होने पर वह निरंतर इस असमंजस्य में रहा कि उसका प्रकरण अभी विचाराधीन है । जब वह मार्च-2016 में कलेक्टर कार्यालय में जानकारी लेने गया तब छात हुआ कि उसका आवेदन निरक्त किया जा चुका है तब उन्होंने दिनांक 16-3-2016 को आवेदन पेश कर लोक सूचना अधिनियम के तहत अधीनस्थ व्यायालय के अभिलेख के प्रकरण की बकलें प्राप्त की गई तब उसे प्रकरण निरक्त किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई । आवेदक द्वारा तर्कों में यह कहा गया है कि राजस्व मंडल, माननीय उच्च व्यायालय एवं माननीय उच्चतम व्यायालय द्वारा अनेक व्यायदृष्टांतों में यह लिङ्गांत्र प्रतिपादित किया गया है कि तकनीकि आधार पर मामला खारिज नहीं किया जाना चाहिए - उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दिए गए तर्कों के समर्थन</p>	

स्थान तथा दिनांक	नवराही तथा आदेश	पश्चात्यार्थ एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>मैं अपना श्रापथपत्र भी पेश किया गया है। दर्शित परिस्थिति मैं आवेदक द्वारा बताए गए विलंब के आधार सद्भाविक मान्य करने हेतु विलंब क्षमा किए जाने मैं किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है। अतः विलंब क्षमा किया जाता है।</p> <p>3/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रदृश है यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ व्यायामालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें उसके द्वारा मौजा टीगन नं० बं० 251, प०ह०न० 40 रा०नि०म० बरगी स्थित भूमि खसरा नंबर 155, 156/3, 172, 173/2, 234 एवं 156/4 रक्खा क्रमशः 0.25, 0.87, 0.47, 0.88, 0.33 एवं 0.72 हैक्टर कुल रक्खा 3.52 हैक्टर को गैर आदिवासी सतपुड़ा इक्कोर्कॉम प्रा. लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी पिता स्व० राममिलन त्रिपाठी निवासी गढ़ा जैन मंदिर के पीछे तहसील व जिला जबलपुर को को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। कलेक्टर द्वारा हस आधार पर आवेदक का आवेदन खारिज कर प्रकरण समाप्त किया गया है कि आवेदक अब भूमि विक्रय नहीं करना चाहता है। आवेदक की ओर से हस संबंध में यह कहा गया है कि उस समय उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के यह कहने पर वे उसे अधिक मूल्य देंगे भूमि विक्रय न करने का कथन किया था किंतु उनके द्वारा उसके बाद भूमि कर्य नहीं की गई। चूंकि प्रस्तावित केता द्वारा अनुबंध के समय दी गई राशि वापिस किए जाने की मांग कर रहे हैं हसके अतिरिक्त आवेदक को अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी धनराशि की आवश्यकता है। हस कारण भूमि विक्रय की अनुमति हेतु यह निगरानी पेश की गई है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अन्य केता श्रीमती माया त्रिपाठी पति श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी निवासी 516, गढ़ा जबलपुर प्रदेशीन भूमियां कर्य करने को इच्छुक हैं तथा वर्तमान गार्ड लाईन मूल्य देने को तैयार हैं।</p>	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्थ मण्डल, मध्यप्रदेश, खालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1154-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	वार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ ब्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन अतिरिक्त तहसीलदार, को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से अति. तहसीलदार द्वारा विचित्रत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। अतिरिक्त तहसीलदार ने जो प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया है उसमें यह उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पद्धते पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा कर्य की गई है। भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थिति में आवेदक के तर्कों को मान्य करते हुए अधीनस्थ ब्यायालय का आलोच्य आदेश 12-2-14 निरस्त किया जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की मौजा टीगन बं0 बं0 251, प0ह0न0 40 रा0न0म0 0 बरगी स्थित भूमि खसरा नंबर 155, 156/3, 172, 173/2, 234 एवं 156/4 रक्का क्रमांक: 0.25, 0.87, 0.47, 0.88, 0.33 एवं 0.72 हैक्टर कुल रक्का 3.52 हैक्टर को श्रीमती माया त्रिपाठी पत्नि श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी निम्न शार्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <p>1- यदि प्रस्तावित केता चालू वर्ष की गाहड लाहन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</p>	

R
M

R 1154-I/16

पहलसिंह आदि विलद म0प्प0 शासनस्थान तथा
दिनांक

कार्यपाली तथा आदेश

प्रकारों एवं अधिकारों
आदि के हस्ताक्षर

- 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।
- 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में बिष्यादित कराना अनिवार्य होगा ।
- निम्नानी तदनुसार निराकृत की जाती है । प्रकार सूचित हों ।

(एम०क० सिंह)

सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
रवालियर